

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर
क्रमांक एफ 0(4)(33) 181, पोर्टल/नवीन सूझाव/साभ्याजति/2021-22/ 6805

दिनांक : 08/09/2023

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राजस्थान के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, पुमन्तु एवं अर्द्धपुमन्तु समुदाय/गिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सार्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/गिजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसाएसओ पोर्टल पर **SCHOLARSHIP SJE APP** अथवा मोबाईल ऐप **SJED APPLICATIONS** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) तथा संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पंजीयन/अद्यतनीकरण करने हेतु निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती हैं :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
1	उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन करवाने तथा पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने हेतु	8 सितंबर 2023	31 अक्टूबर 2023
2	उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन करने हेतु (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त)	16 सितंबर 2023	16 नवम्बर 2023

छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. आय सीमा:-

- (अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग-SBC) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (IEBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विमुक्त, छ पुमन्तु एवं अर्द्धपुमन्तु (DNT) तथा गिरासी एवं भिश्ती समुदाय के लिए उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
- (ब) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (IEBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, छ पुमन्तु एवं अर्द्धपुमन्तु (DNT) में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे जैसे- वी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट वी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं,

Signature valid

Digitally signed by Halmanlal Guite
Designation: Director
Date: 2023.09.08 12:42:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650704



तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र। उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

(स) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5.00 लाख रु. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

2. फ्रीशिप कार्ड:- अनुसूचित जाति (SC), डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, धुमन्तु एवं अर्द्धधुमन्तु (DNT) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाये प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सुनिश्चिता हेतु फ्रीशिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। फ्रीशिप कार्ड को सम्बंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार्य किये जाने पर विद्यार्थी का फ्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति आवेदन के रूप में स्वतः परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के स्तर पर प्रदर्शित होगा।

3. आवेदन प्रक्रिया:- सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वयं की एस एस ओ आईडी जिसमें विद्यार्थी का आधार भी लिंक हो के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कृपया, आवेदन की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ण जांच एवं संतुष्टि उपरान्त ही आवेदन फाइनल सबमिट किया जावे। एक बार आवेदन सबमिट कर दिए जाने के उपरांत आवेदन में कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।

4. जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

5. सत्र 2023-24 में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्थान में उक्त सत्र के अंतर्गत प्रवेशित/अध्ययनरत होना अनिवार्य है।

6. छात्र/छात्रा को अपने आवेदन में चालू मोबाईल नम्बर एवं स्वयं की ई-मेल आईडी अंकित करनी होगी।

7. दस्तावेज:- छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के अधिकांश दस्तावेज जैसे- आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाएँ आदि जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाइन ली जायेंगी। साथ ही छात्रवृत्ति आवेदन में वांछित सभी मूल दस्तावेजों तथा फीस रसीद को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा।

8. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन :- नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर वास्तविक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में भी संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

9. विद्यार्थी का बैंक विवरण:- पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि उनके स्वयं के बैंक खाते में ही हस्तान्तरित की जावेगी। अतः विद्यार्थी अपने आधार बेस्ड/सीडेड/लिंकड बैंक खाते के विवरण को आवेदन करने से पूर्व जनाधार में अनिवार्य रूप से अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:-

- विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउण्ट ही हो।
- छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वयं का खाता हो।
- छात्र/छात्रा के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन

Signature valid

Digitally signed by Haumanlal Guite
Designation: Director
Date: 2023.09.08 12:42:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650704



ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

d. बैंक खाता बन्द न हो अर्थात् बैंक नियमों के अनुसार न्यूनतम धरोहर राशि सरकारी बैंक में 1000 एवं निजी बैंक में 5000 भुगतान के समय उपलब्ध हो।

e. यदि बैंक खाता मार्डनर है एवं छात्रवृत्ति फी राशि 25000 रुपये से ज्यादा है, तो बैंक को पार्शना पत्र प्रस्तुत कर वयस्क खाते में परिवर्तित करावें।

10. शुल्क संरचना:- शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee) 3. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)

4. खेल-कूद शुल्क (Games/Sports Fee) 5. संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee) 6. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee) 7. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee) 8. परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का विवरण अंकित करेंगे। उक्तानुसार ही उस पाठ्यक्रम के समस्त विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति देय होगी। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विद्यार्थी को केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा तथा अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।

11. शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन:- छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है तो इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

12. विद्यार्थी की बायोमैट्रिक उपस्थिति:- विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेषित किये जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार बेस्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। जिसके अभाव में आवेदन अग्रेषित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति ड्रिवाइस को पंजीकृत किया जाना होगा।

13. शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन:- जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है, वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन के अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।

1. छात्रवृत्ति सत्यापन व स्वीकृतकर्ता:- नवीन व्यवस्थानुसार सत्र 2023-24 से शिक्षण संस्थान जिस जिले में संचालित है उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उसी जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा। किन्तु राज्य के बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों के मामलों में क्षेत्राधिकार उस जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी है।

Signature valid

Digitally signed by Haimanlal Guite

Designation: Director

Date: 2023.09.08 12:42:04 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650704



2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत यदि किसी भी अपात्र विद्यार्थी द्वारा गैर-कानूनी ढंग से छात्रवृत्ति प्राप्त किए जाने हेतु प्रयास किए जाते हैं अथवा किसी विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदनों की जाँच एवं सत्यापन में कोई अनियमितता बरती जाती है तो विभाग द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर संबंधित विद्यार्थी को भविष्य में छात्रवृत्ति आवेदन करने से डिबार/ब्लैक लिस्ट तथा संबंधित संस्थान को होल्ड/ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा। साथ ही गम्भीर प्रकरणों में दोषी विद्यार्थी एवं संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कारवाई (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाई जा सकेगी।
3. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश एवं छात्रवृत्ति योजना संचालन प्रक्रिया 2023 वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेब साइट sje.rajasthan.gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें।

आवेदन करने में किसी भी तकनीकी समस्या होने पर विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(हउल्यिनलल गुईटे)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:एफ 9(4)(33) छा. पोर्टल/नवीन सुझाव/सान्याअवि/2021-22/6806-27

दिनांक : 08/09/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
14. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
15. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।

Signature valid

Digitally signed by Haumanlal Guite
Designation: Director
Date: 2023.09.08 12:42:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650704



16. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
17. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
19. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक/जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).....।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

Signature valid

Digitally signed by Harmanlal Guite
Designation: Director
Date: 2023.09.08 17:42:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4650704

